परित्यक्ता विवाहित महिला / मानसिक रूप से विकृत / विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण—पोषण अनुदान (पेंशन का प्रार्थना पत्र का प्रारूप)

1.	पेंशन योजना का नाम (जिसके अन्तर्गत आवेदन किया है)	
 3. 	बी.पी.एल. नम्बर अथवा वार्षिक आय प्रमाण—पत्र (उपरोक्त में से कोई एक की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) आवेदक का नाम कु0 / श्रीमती / श्री	नवीनतम फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, अध्यक्ष/ सभासद नगर पालिका /पंचायत,ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से
4.	पिता / पति का नाम श्री	सत्यापित
5.	जाति ""	
6.	स्थायी पता :— ग्राम / मौहल्लापोस्ट—	
	ग्राम पंचायत / वार्ड का नामन्याय पंचा	यत
	विकास खण्डतहसीलतहसील	जनपद
7.	जन्मतिथि / आयु(परिवार रजिस्टर भाग—दो / शैक्षिक	अभिलेख संलग्न करें)
हो ग न्याया जायेग	श्रेत परित्यक्ता महिला — (शादी के उपरान्त 01 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत या हो अथवा पति के द्वारा परित्याग कर दिया गया हो तथा उसके भरण—पोषण् लय के आदेशों के क्रम में प्रदान नहीं किया जा रहा हो)। इस हेतु आवेदक द्वा ा जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान / वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणीकृत किया जायेगा। पति के लापता होने अथवा पति द्वारा छोड़े जाने की तिथि—	ग हेतु निर्वाह भत्ता स्वयं अथवा रा स्व घोषणा—पत्र प्रस्तुत किया
कारण चिकित अंकित	सेक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी (ऐसे पति अथवा पत्नी जो काम काज करने में असमर्थ हों तथा अपने परिवार का भरण—पोषण करने में अक्षयत्यालय के चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित पति अथवा पत्नी को मानसिक रूप करते हुए धनोपार्जन हेतु अक्षमता का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। विकलांगता का प्रतिशत —	म हो चुके हों)। इस हेतु सरकारी
	<mark>श्रेत अविवाहित महिला </mark> —(40 से अधिक एवं 60 वर्ष तक की अविवाहित म स्व घोषणा—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान ∕ वार्ड र π।	
10.	उम्र सत्यापन हेतु शैक्षिक प्रमाण–पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल	संलग्न करें।

13. आई0एफ0एस0सी0कोड14. आधार नम्बर15. मोबाईल नम्बर		
	अभ्यर्थी द्वारा घोषणा	
दी गयी समस्त सूचना सही है। ग	घोषणा करती ह लत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त ही वसूली भू—राजस्व की भॉति वसूल कर ली जा	करने पर नियमानुसार
दिनांकः	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगृ	्ठा निशानी
में पात्रता हेतु आवेदिता को चयन क वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर		,
नाम एवं मुहर (नगरीय क्षेत्र हेतु)	ग्राम प्रधान व नाम एवं (ग्रामीण क्षेत्र	
	नाम एवं	मुहर
	नाम एवं (ग्रामीण क्षेत्र स्वीकृत अधिकारी के हस्ताक्षर <u>ग्रामीण क्षेत्र के लिये</u> ग्राम प्र	मुहर